

न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी : जयदीप सिंह)

सत्र प्रकरण क्रमांक : 464/2014
संस्थित दिनोंक : 03-12-2014

मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैतूल,
जिला बैतूल (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

:: वि रु द्ध ::

1. सुरेश पिता मानिकराव धोटे, आयु 45 वर्ष,
निवासी-विनोबा वार्ड, भग्गूढाना, गंज, बैतूल
जिला बैतूल (म.प्र.)
2. रवि पिता रामकृष्ण कवड़कर, आयु 46 वर्ष,
निवासी-एल.एफ.एस.स्कूल के पास,
चंद्रशेखर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)
3. सुखराम पिता ढीमरा बड़ोदे, आयु 75 वर्ष,
निवासी-मूसाखेड़ी, थाना आठनेर,
जिला बैतूल (म.प्र.)

— — — — — **अभियुक्तगण**

उपस्थिति में :

राज्य द्वारा श्री गोवर्धन मालवीय, अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्त सुरेश द्वारा श्री पंकज रघुवंशी अधिवक्ता।
अभियुक्त रवि द्वारा श्री मदन हीरे अधिवक्ता।
अभियुक्त सुखराम द्वारा श्री राकेश पटेल अधिवक्ता।

:: निर्णय ::

(आज दिनोंक 15-02-2018 को खुले न्यायालय में घोषित)

अभियुक्त सुखराम पर यह आरोप है कि उसने दिनोंक 04.06.2008 को भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा सिविल लाईन बैतूल जिला बैतूल में छल करने के प्रयोजन से यह जानते हुए कि ग्राम मूसाखेड़ी, तहसील आठनेर, जिला बैतूल की खसरा नंबर 109 एवं 21/1 रकबा 1.744 एवं 2.685 कुल 4.429 हेक्टेयर की भूमि उसकी नहीं है, उक्त कूट रचना किये जाने हेतु और बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु खसरा किश्तबंदी पर तहसीलदार की सील एवं हस्ताक्षर कर, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं की गयी थी, जिससे मूल्यवान प्रतिभूतियाँ सम्पादित की जा सकती थी, से छल किया और बैंक से

ऋण प्राप्त किया, यह जानते हुए कि सीलें, हस्ताक्षर, ऋण पुस्तिका एवं खसरा किश्तबंदी नकली थे तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है, जो असल के रूप में प्रयोग करने के आशय से कूटरचना की, यह जानते हुए कि उक्त सीलें, हस्ताक्षर, ऋण पुस्तिका एवं खसरा किश्तबंदी कूटरचित है, छल करने के आशय से प्रयोग में लायी जायेगी, कूटरचना की, यह जानते हुए कि उक्त कूटरचित खसरा, किश्तबंदी एवं कृषिभूमि के दस्तावेजों को कपटपूर्वक एवं बेईमानीपूर्वक यह जानते हुए कि वह कूटरचित है, भारतीय स्टेट बैंक, बैतूल से ऋण प्राप्त करने हेतु उपयोग किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468 एवं 471 के अधीन दण्डनीय है। अभियुक्त सुरेश एवं रवि के विरुद्ध यह आरोप है कि उनके द्वारा सहअभियुक्त के साथ षड़यंत्र कर उक्त अपराध कारित किया, जो क्रमशः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/120बी, 467/120बी, 468/120बी तथा 471 के अधीन दण्डनीय है।

2. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. अभियोजन कथा यह है कि सुखराम द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिविल लाईन बैतूल में आकर स्वयं के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नंबर 109 एवं 21/1 रकबा 1.744 एवं 2.685 कुल 4.429 हेक्टेयर मौजा मूसाखेड़ी, तहसील आठनेर जिला बैतूल बताकर खसरा किश्तबंदी बैंक में बतौर प्रतिभूति दिनांक 04.06.2008 को जमा किये, जिनके सही होने का विश्वास कर बैंक द्वारा उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर आरोपी को रु.1,14,000/- का ऋण प्रदान किया गया। बैंक के द्वारा अधिवक्ता श्री आकाश शुक्ला से संचर्च करवाने पर पाया गया कि आरोपी सुखराम केवल खसरा नंबर 109 रकबा 1.744 हेक्टेयर का भूमि स्वामी है तथा शेष भूमि का भूमि स्वामी नहीं है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कूटरचित थे एवं उसके द्वारा दस्तावेजों की कूटरचना कर उन्हें असल दस्तावेजों के रूप में उपयोग में लाते हुए बैंक को आर्थिक नुकसान पहुँचाने की नियत से बैंक के साथ धोखाधड़ी की है तथा उक्त दस्तावेजों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत कर अपराध किया है।

4. उक्त आशय का लेखी आवेदन प्र.पी-1 थाना कोतवाली बैतूल में प्रस्तुत किये जाने पर आरोपी सुखराम के विरुद्ध अपराध क्र.

889/2014 अंतर्गत धारा 420, 467, 468 एवं 471 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान बैंक से ऋण प्राप्त किये जाने संबंधी दस्तावेज, भूमि के खसरा किश्तबंदी, नक्शा, सर्च रिपोर्ट, शपथपत्र आदि प्राप्त किये गए। आरोपी सुखराम के हस्ताक्षर एवं राशन कार्ड जप्त किया गया। साक्षियों के कथन लेख किये गए। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि आरोपी सुखराम, रवि कवड़कर, सुरेश धोटे एवं बैंक के तत्कालीन अधिकारी डी.एन.शर्मा के द्वारा षडयंत्र कर फर्जी दस्तावेज खसरा, किश्तबंदी तैयार कर बैंक में प्रस्तुत कर सुखराम के नाम से ऋण प्राप्त कर आपस में बांट लिया गया। तत्पश्चात् आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध स्थापित होना पाये जाने पर अभियोग पत्र श्रीमती नोरिन निगम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। चूंकि यह मामला अनन्यतः सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय था, इसलिये उपापित किया गया और माननीय सत्र न्यायाधीश, बैतूल द्वारा अंतरण पर विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

5. आरोपी सुखराम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468 एवं 471 एवं आरोपी रवि एवं सुरेश के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/120बी, 467/120बी, 468/120बी तथा 471 का आरोप विरचित कर उन्हें पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे आरोपीगण ने इंकार किया और विचारण चाहा। धारा 313 द.प्र. सं. के परीक्षण में आरोपीगण का कहना है कि वे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव में कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

6. द.प्र.सं. की धारा 317(2) के अंतर्गत सहअभियुक्त डी.एन.शर्मा के विरुद्ध पृथक विचारण हेतु आदेशित किया गया है।

7. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या अभियुक्त सुखराम ने दिनांक 04.06.2008 को भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा सिविल लाईन बैतूल जिला बैतूल में छल करने के प्रयोजन से यह जानते हुए कि ग्राम मूसाखेड़ी, तहसील आठनेर, जिला बैतूल की खसरा नंबर 109 एवं 21/1 रकबा 1.744 एवं 2.685 कुल

4.429 हेक्टेयर की भूमि उसकी नहीं है, उक्त कूट रचना किये जाने हेतु और बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु खसरा किश्तबंदी पर तहसीलदार की सील एवं हस्ताक्षर कर, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं की गयी थी, जिससे मूल्यवान प्रतिभूतियाँ सम्पादित की जा सकती थी, से छल किया और बैंक से ऋण प्राप्त किया ?

- (2) क्या आरोपी सुखराम ने यह जानते हुए कि सीलें, हस्ताक्षर, ऋण पुस्तिका एवं खसरा किश्तबंदी नकली थे तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है, जो असल के रूप में प्रयोग करने के आशय से कूटरचना की ?
- (3) क्या आरोपी सुखराम ने यह जानते हुए कि उक्त सीलें, हस्ताक्षर, ऋण पुस्तिका एवं खसरा किश्तबंदी कूटरचित है, छल करने के आशय से प्रयोग में लायी जायेगी, कूटरचना की ?
- (4) क्या आरोपी सुखराम ने यह जानते हुए कि उक्त कूटरचित खसरा, किश्तबंदी एवं कृषिभूमि के दस्तावेजों को कपटपूर्वक एवं बेईमानीपूर्वक यह जानते हुए कि वह कूटरचित है, भारतीय स्टेट बैंक, बैतूल से ऋण प्राप्त करने हेतु उपयोग किया ?
- (5) क्या आरोपी सुखराम द्वारा कारित उक्त अपराध में सुरेश एवं रवि द्वारा सहअभियुक्त के साथ षड़यंत्र कर सहभागिता की ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

विचारणीय बिन्दु क्र. 1 से 5 :-

8. साक्ष्य विवेचन की पुनरावृत्ति को अपवर्जित करने के उद्देश्य से उक्त विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। (अ.सा.2) दीनदयाल, (अ.सा.3) भारत, (अ.सा.4) कन्हैया, (अ.सा. 5) जयवंती उर्फ फूलवंती, (अ.सा.6) रामकिशोर, (अ.सा.8) सुनील जीतपुरे के द्वारा कथन किया है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है।

उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर उनसे सूचक प्रश्न पूछे गए हैं, किंतु उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन कहानी को बल मिलता हो।

9. (अ.सा.1) दिलीप कुमार, मुख्य प्रबंधक ने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि वह दिनोंक 2012 से अक्टूबर 2014 तक मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बैतूल में कार्यरत रहा है। आरोपी सुखराम को बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया गया था, जिसके संबंध में आरोपी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच करवाये जाने पर यह ज्ञात हुआ कि आरोपी द्वारा बताए खसरे में रकबे से कम भूमि थी तथा दोबारा सर्च कराये जाने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि सुखराम ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर रु. 1,14,000/- ऋण प्राप्त किया था। उसके द्वारा थाना कोतवाली में लिखित शिकायती आवेदन प्र.पी-1 प्रस्तुत कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी-2 पंजीबद्ध कराया और प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि, जिसमें किसान क्रेडिट लोन का दस्तावेज प्र.पी-3, एप्लीकेशन फार्म प्र.पी-4, ऋण स्वीकृति मूल्यांकन आवेदन प्र.पी-5, खसरा पांच साला प्र.पी-6, किश्तबंदी खतौनी प्र.पी-7, नक्शा प्र.पी-8, आकाश शुक्ला द्वारा दिया गया टाईटिल सर्च रिपोर्ट प्र. पी-9 तथा गिरधर यादव द्वारा दी गयी सर्च रिपोर्ट प्र.पी-10 है। आरोपी सुखराम द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक में जमीन के फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। थाना प्रभारी द्वारा प्रकरण से संबंधित जानकारी मांगी थी, जो प्र.पी-12 के अनुसार है।

10. (अ.सा.1) दिलीप कुमार ने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि ऋण ग्रहिता द्वारा ही भूमि से संबंधित दस्तावेज शाखा में उपलब्ध कराये जाते हैं तथा भूमि का भौतिक सत्यापन भी कराया जाता है और उसके बाद ही ऋण स्वीकृत किया जाता है। ऋण प्रकरण स्वीकृत करने के पूर्व सर्च रिपोर्ट मांगी जाती है तथा बैंक द्वारा अधिकृत अधिवक्त के द्वारा सर्च की जाकर रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऋण स्वीकृत किया जाता है। सुखराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार की ओवररायटिंग या कांट-छांट नहीं है। जब 2014 में बैंक के अधिवक्ता द्वारा पुनः सर्च करने पर उक्त सर्च रिपोर्ट को गलत पाया था तब आरोपी सुखराम के

विरुद्ध पुलिस में शिकायत की थी।

11. (अ.सा.7) आकाश शुक्ला द्वारा न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि वे 2008-09 से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बैतूल में विधिक सलाहकार के पद पर पदस्थ हैं। उनके द्वारा आरोपी सुखराम के ग्राम मूसाखेड़ी में खसरा नंबर 109 एवं 21/1 का रकबा 1.744 एवं 2.685 हेक्टेयर का स्वयं को भूमिस्वामी होना बताकर बैंक से ऋण लिया था, परंतु उनके द्वारा सर्च की गयी तब आरोपी सुखराम उक्त भूमि का स्वामी नहीं था और इस तरह सुखराम ने कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की। उनके द्वारा दी गयी सर्च रिपोर्ट प्र.पी-9 है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि उसने उक्त सर्च रिपोर्ट के साथ भूमि के प्रमाणित भू दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। ऋण प्रदान किये जाने के बाद भूमि को बंधक के रूप में दर्ज किया जाता है तथा उपपंजीयक कार्यालय के रिकार्ड में दर्ज किया जाता है। बैंक द्वारा भूमि की सर्च रिपोर्ट की सत्यता की जाँच के उपरांत ऋण प्रदान किया जाता है।

12. (अ.सा.9) उपनिरीक्षक अशोक वरकड़े उपनिरीक्षक ने व्यक्त किया है कि दिनांक 07.07.2014 को थाना बैतूल में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते एस.आई. सेवन्ती परते ने आरोपी के विरुद्ध प्र. पी-2 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया था और विवेचना के दौरान गवाहों के कथन लेख कर बैंक से प्र.पी-11 का पत्र लिखकर जानकारी चाही थी और दस्तावेजों की मूल से सत्यापित मूल प्रतियों विवेचना के दौरान ही प्राप्त की थी। आरोपी रवि, सुरेश एवं सुखराम को गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी-19 से 21 बनाकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी सुखराम से एक राशन कार्ड की छायाप्रति पेश किये जाने पर तथा 6 प्रति हस्ताक्षर नमूना जाँच के लिए गवाहों के समक्ष लिये थे, जिन्हें जप्ती पत्रक प्र.पी-17 बनाकर जप्त किया।

13. (अ.सा.9) उपनिरीक्षक अशोक वरकड़े उपनिरीक्षक ने प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उसने खसरा, नक्शा, किश्तबंदी आदि के संबंध में राजस्व विभाग के पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार या अन्य किसी से कोई पूछताछ नहीं की। पूर्व में चंद्रशेखर सोनी द्वारा जो सर्च रिपोर्ट दी गयी थी, वह भी प्रकरण में भूमि की

सत्यता के संबंध में संलग्न है और चंद्रशेखर सोनी द्वारा यह व्यक्ति किया था कि उक्त रिपोर्ट उनके द्वारा नहीं दी गयी, किंतु उनके कथन लेख नहीं किये गए। उसे आरोपी के पास से बैंक की खसरा किशतबंदी या सील आदि नहीं मिली। वर्ष 2008 में प्रस्तुत सर्च रिपोर्ट में दर्शित खसरा की भूमि में रकबा आरोपी के नाम लेख किया गया था तथा 2008 से 2014 तक आरोपी द्वारा उक्त भूमि का कुछ भाग विक्रय किया गया हो तो इस संबंध में जाँच नहीं की और आकाश शुक्ला की जाँच रिपोर्ट के आधार पर सुखराम को आरोपी माना गया है।

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन ने अभिलेख पर लोन से संबंधित दस्तावेज किसान क्रेडिट लोन का दस्तावेज प्र.पी-3, एप्लीकेशन फार्म प्र.पी-4, ऋण स्वीकृति मूल्यांकन आवेदन प्र.पी-5, खसरा पांच साला प्र.पी-6, किशतबंदी खतौनी प्र.पी-7, नक्शा प्र.पी-8, आकाश शुक्ला द्वारा दिया गया टाईटिल सर्च रिपोर्ट प्र. पी-9 तथा गिरधर यादव द्वारा दी गयी सर्च रिपोर्ट प्र.पी-10 प्रस्तुत किये हैं, जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी सुखराम द्वारा फरियादी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से रु. 1,14,000/- का ऋण लिया। ऋण लेते समय भूमि से संबंधित राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किये और प्रथम सर्च रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण होने के कारण लोन स्वीकृत हुआ। आरोपी सुखराम ने लोन प्राप्त किया और पुनः सर्च कराये जाने पर आरोपी सुखराम द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त राजस्व दस्तावेज कूट रचित होना प्रमाणित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त खसरा दस्तावेज आरोपी सुखराम द्वारा ही बैंक में प्रस्तुत किये गए और आकाश शुक्ला द्वारा दी गयी सर्च रिपोर्ट प्र.पी-9 के अनुसार खसरा नंबर 21/1 का रकबा 2.685 हेक्टेयर का स्वामी आरोपी सुखराम नहीं था और इस तरह सुखराम ने कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की।

15. उक्त स्थिति में जहाँ कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित है कि आरोपी सुखराम द्वारा छलपूर्वक फर्जी दस्तावेजों को बैंक में प्रस्तुत कर अवैधानिक रूप से ऋण प्राप्त किया गया तब जहाँ कि सम्पूर्ण मामला दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है तब आरोपी सुखराम पर ही यह प्रमाण भार है कि वह उक्त दस्तावेजों को

कूटरचित न होना प्रमाणित करें, किंतु इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और अभियोजन साक्षी दिलीप कुमार (अ.सा.1) एवं आकाश शुक्ला (अ.सा.7) के न्यायालयीन कथन प्रतिपरीक्षण में अखण्डित हैं, जिन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक आरोपी सुरेश एवं रवि का प्रश्न है, उनके आपराधिक दायित्व के संबंध में प्रकरण में विश्वसनीय साक्ष्य का सर्वथा अभाव है। उक्त आरोपीगण के न तो किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर हैं और न ही कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर है।

16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आधार पर अभियोजन आरोपी सुरेश एवं रवि के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है, किंतु आरोपी सुखराम के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामस्वरूप आरोपी सुरेश एवं रवि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/120बी, 467/120बी, 468/120बी तथा 471 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपी सुखराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468 एवं 471 के आरोप में दोषी पाकर दोष सिद्ध किया जाता है।

17. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन स्थगित किया जाता है।

(जयदीप सिंह)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च:

18. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। आरोपी की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है, उसका प्रथम अपराध है। दण्ड के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का निवेदन किया गया। अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी को कठोरतम दण्ड देने का निवेदन किया। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में और आरोपी द्वारा बैंक में जमा लोकधन के प्रति कारित अपराध को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को निम्नवत् दण्डित किया जाता है :-

अभियुक्त का नाम	धारा	कारावासीय सजा	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड का व्यतिक्रम करने पर
सुखराम पिता ढीमरा बड़ोदे, आयु 75 वर्ष, निवासी-मूसाखेड़ी, थाना आठनेर, जिला बैतूल (म.प्र.)	धारा 420 भा.द.सं.	चार वर्ष सश्रम	रु. 1,000 /—	दो माह सश्रम
	धारा 467 भा.द.सं.	पॉच वर्ष सश्रम	रु. 1,000 /—	दो माह सश्रम
	धारा 468 भा.द.सं.	चार वर्ष सश्रम	रु. 1,000 /—	दो माह सश्रम
	धारा 471 भा.द.सं.	दो वर्ष सश्रम	रु. 1,000 /—	दो माह सश्रम

18. आरोपी को दी गयी सभी कारावासीय सजा एक साथ भुगतायी जाये। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दिये गए कारावास की सजा मूल कारावासीय सजा से पृथक से भुगतायी जाये।

19. प्रकरण में कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है। आरोपी सुखराम द्वारा न्यायालय में जमा करायी गयी राशि रु. 1,14,000 /— अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा बैतूल को वापस की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत की जाये।

20. अभियुक्त सुखराम को निर्णय की निःशुल्क प्रतिलिपि प्रदान की जाये। उसका सजा वारंट तैयार कर सजा भुगताये जाने हेतु जिला जेल बैतूल भेजा जाये।

21. अभियुक्त सुरेश एवं रवि के जमानत मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त किये जाते हैं।

22. अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि अभियुक्तगण को दी गयी कारावासीय सजा में समायोजित किया जाये।

23. द.प्र.सं. की धारा 428 के अंतर्गत निरोध अवधि की तालिका बनायी गयी जो निर्णय का अंग होगी।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देश पर टंकित किया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(जयदीप सिंह)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

(जयदीप सिंह)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

बैतूल, दिनांक : 15/02/2018